अमर उजाला
रविवार • 18.04.2021
kanpur.amarujala.com
02

बिना मास्क मिले तो एक हजार जुर्माना

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) कैंपस में कोई भी अगर बिना मास्क मिला तो उसे एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। शनिवार को डीन एग्रीकल्चर डॉ. डीआर सिंह ने अधिकारियों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। (संवाद)

आज

कानपुर
18 अप्रैल, 2021
5

सीएसए में बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपये का अर्थदण्ड

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों, वैज्ञानिकों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाये उपस्थित होने या जाने पर एक हजार रुपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। यह जानकारी सीएसए के अधिष्ठाता, कृषि संकाय धर्मराज सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति कर जारी कर दी

8:52 AM

1-8.pdf - Read-only

हिन्दी दैनिक समाचार

RNI No. UPHIN/2007/23059

विशाल प्रदेश

प्रधान सम्पादक- मोहम्मद नासिर

कानपुर का लोकप्रिय समाचार पत्र

वर्ष : 15 अंक : 86 रविवार 18 अप्रैल 2021 पृष्ठ : 8 मूल्य : 2.00

सीएसए में मास्क हुआ अनिवार्य बिगर मास्क पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना

दीपक गौड़

कानपुर(विशाल प्रदेश)चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह के निर्देश के क्रम में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते

हुए आदेश दिया गया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए प्रवेश करने व उपस्थित होने पर ?1000 (एक हजार रूपए) का जुर्माना अर्थदंड लगाया जाएगा जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा बातचीत करने पर विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर खलील खान ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है जिसका हम सभी को पालन करना है जिससे हम सभी लोगों का कोविड-19 संक्रमण से बचाव हो सके

लखनऊ संस्करण
वर्ष-06, अंक -173
रविवार, 18 अप्रैल, 2021
पृष्ठ 12
मूल्य 3 रु*
लखनऊ, नोएडा, हल्द्वानी और देहरादून से प्रकाशित

देश का सबसे विश्वसनीय अखबार
दैनिक भास्कर

For epaper → www.updainikbhaskar.com

मॉस्क न पहनने वालों पर होगी कार्रवाई

कानपुर। बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को लेकर सरकारी व गैरसरकारी संस्थानओ ने सरकार की दी गई गाइडलाइनों का पालन करना और कराना शुरु कर दिया है। इसी कड़ी में अधिष्ठाता, कृषि संकाय चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय के धर्मराज सिंह ने एक विज्ञप्ति के जरिए विश्व विद्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों,वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों,को निर्देशित करते हुए परिसर कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर बिना मॉस्क लगाए उपस्थित होने व जाने पर रुपया एक हजार मात्र अर्थदंड से निर्धारित किया जाएगा। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

कानपुर